

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-०१/स्था० (का०पदा०)-०५/२०१७ ३३९ /न०वि० एवं आ०वि०। श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव को बिहार नगरपालिका अधिनियम, २००७ की धारा-४१ के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
(भरत झा)

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक-०१/स्था० (का०पदा०)-०५/२०१७ ३३९ /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- ११/०१/१८

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव / नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, नगरपालिका प्रशासन
-सह-अपर सचिव।